

फर्द अहकाम 73

(नियम 13)

अज अदालत तहसीलदार / नायब तहसीलदार सिणधरी तहसील सिणधरी

राजस्थान सरकार जरिये पटवारी

वनाम

श्री. राम विकारु अधिकारी
शा.पं. बुका वडावडे

हलका बुका वडावडे

पुत्र श्री.....जाति.....

निवासी-.....

किस्म मुकदमा धारा 91 राज. भू राजस्व अधिनियम 1956 मु.नं. 73 वर्ष 2020

तारीख हुकम	हुकम या कार्यवाहीमय इनिशियलस जज	हुकम और तारीख तामिल की
23-12-2020	पटवारी हलका बुका वडावडे ने रिपोर्ट पेश कर सूचित किया कि उक्त अप्रार्थी ने संवत् 2022 में मौजा बुका वडावडे के खसरा नंबर 27/3 रकबा 400 वर्ग फीट किस्म भूमि 5000 वर्ग फीट पर नाजायज अतिक्रमण कर काश्त व कब्जा किया है, अतः राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 91 के तहत मामला दर्ज रजिस्टर किया जाकर गैरसायल को जरिये नोटिस तलब किया जावे। पत्रावली दिनांक 11-01-2021 को वमुकाम सिणधरी में पेश हों। तहसीलदार सिणधरी जिला-बाड़मेर	
11-01-2021	पत्रावली पेश हुई। गैर सायल पीगलीन अधिकारी राजकीय कार्य हेतु जोधपुर पदार्थ से पत्रावली दिनांक 18-01-2021 को पेश है। 11-01-2021	
18-01-2021	पत्रावली पेश हुई। गैर सायल अनुपाप्ति। गैर सायल को तलब हेतु सायल दिनांक 27-01-2021 को पेश है। तहसीलदार सिणधरी जिला-बाड़मेर	

27-01-2021

पत्रावली पेश हुई। गैर सापल अनुपास्थित।
गैर सापल के जावक हेतु अवसर दिनांक 02-2-2021 के पत्रावली दिनांक 10-02-2021 के पेश है।

तहसीलदार सिणधरी
जिला-बाड़मेर

10-2-2021

पत्रावली पेश हुई। पीसलीग भूमिगारी आठ उधरी पर
सिवना पथारे हे पत्रावली दि-17-2-21 के पेश है।

10-2-21

17-2-2021

पत्रावली पेश हुई। गैर सापल अनुपास्थित। गैर
सापल के जावक हेतु अधिक अवसर दिनांक 22-2-2021 के पेश है।

तहसीलदार सिणधरी
जिला-बाड़मेर

22-2-2021

पत्रावली पेश हुई। गैर सापल अनुपास्थित। गैर
सापल के जावक हेतु बार-बार अवसर दिनांक के उपरान्त भी कोई विधि समत साक्ष्य प्रस्तुत
नहीं किये गैर सापल के अधिकार मानते हुए
पत्रावली फलत सुगर है। निवेदन अलग से
लिखा जाकर शिष्टिल पत्रावली है।
पत्रावली फलत सुगर है और शिष्टिल अफतर
है।

तहसीलदार सिणधरी
जिला-बाड़मेर